न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–00222/2017/223 आर.टी.एक्ट (2017/00222)

1. श्रीमती अणची उर्फ अणछी पुत्री स्व श्री हजारी पत्नि श्री चम्पा जाति कुम्हार, निवासी ग्राम रामगढ, तहसील मसूदा जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. श्री सत्यनारायण पुत्र स्व0 श्री मिश्री
2. श्री गोपाल पुत्री स्व0 श्री मिश्री
3. श्रीमती पानी पत्नि स्व0 श्री देवी जी
4. शिवराज पुत्र स्व0 श्री देवी जी (4 लगायत 6 नाबा0 जरिए
5. पांची पुत्री स्व0 श्री देवी जी संरक्षक माता श्रीमती पानी
6. शांति पुत्री स्व0 श्री देवी जी पत्नि स्व0 श्री देवी जी) समस्त जाति कुम्हार, निवासी ग्राम फतेहगढ, तहसील मसूदा, जिला अजमेर।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, मसूदा जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 04.08.2017 राजस्व वाद संख्या 06/2014.

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

उपस्थितः–

1. श्री शौकिन्दलाल, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सुहदेव चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 03 से 06
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 07
4. रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः–03.02.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 06/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.08.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीया/अपीलांट ने प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया। उक्त वाद उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने दर्ज कर प्रतिवादीगण जरिए नोटिस तलब किया, जिस प्रतिवादी/रेस्पोडेंट के द्वारा वाद के कथनों का जवाब प्रस्तुत किया तथा प्रकरण के विचाराधीन बरवक्त प्रतिवादी/रेस्पोडेंट संख्या 3 लगायत 6 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 11 जा0दी0 के तहत प्रस्तुत किया गया जिसका जवाब वादीया द्वारा प्रस्तुत किया गया, तत्पश्चात प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

समायत कर उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 4.8.2017 द्वारा प्रतिवादी/रेस्पोडेंट संख्या 3 लगायत 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 11 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलग्रस्त निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 06/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.08.2017 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व वादीया/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों एवं प्रतिवादी/रस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 11 जा0 दी0 के नियमों का भली भाँति अवलोकन किये बिना ही अपीलग्रस्त निर्णय व डिकी पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व वादीया/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में अंकित अभिकथनों एवं अनुतोष को नजरअन्दाज कर प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट को लाभांवित करने की मंशा से उच्चतम न्यायालय के प्रतिपादित सिद्वान्तों की अवहेलना करते हुए व वादीया/अपीलांट के न्यायहितों से बाहर जाकर निर्णय पारित किया गया, क्योंकि विवादग्रस्त भूमि के तत्कालिन खातेदार काश्तकार वादीया/अपीलांट के पिता हजारी वल्द के एक मात्र विधिक वारिसान वादीया के अलावा अन्य पुत्र संतान नहीं किन्तु न्यायालय ने पुरानी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पूर्व प्रकरणों का निर्णय दिया, जो वादीया के हक व अधिकारों के विपरित तरह से उपयोग कर निर्णय पारित किया, जो वादीया को अपने अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है, प्रतिवादीया/रेस्पोडेन्ट के नाम विधि विरूद्व जाकर आदेश किया गया, उक्त इन्द्राज की आड में प्रतिवादीया/रेस्पोडेन्ट के अवैध इन्द्रार्ज वादीया/अपीलांट के हक व अधिकारों के प्रति प्रारम्भतः से ही बेअसर एवं शुन्य प्रभावी है, क्योंकि उक्त विवादग्रस्त आराजी में वादीया/अपीलांट का 1/3 एवं प्रतिवादीया/रेस्पोडेन्ट का 2/3 हिस्सा निहित है, इसलिए प्रतिवादीगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज इन्द्राज वादीया के निहित हक हिस्से तक उक्त इन्द्राज की दुरुस्ती किया जाकर वादीया को वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं वादग्रस्त आराजी का न्यायिक बंटवारा कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे, डिक्री वादीया/अपीलांट विरूद्व प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट जारी फरमायी जावें, इसलिए प्रतिवादी/रेस्पोडेंट 3 लगायत 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 11 जा० दी० के किसी भी नियमों एवं प्रावधानो के तहत वाद पत्र निरस्त नहीं किया जा सकता था। उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष प्रतिवादी/रस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 11 जा० दी० में पुरानी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम एवं पूर्व पारित निर्णय के आधार की वाद की प्राथमिक स्तर पर अन्तिम

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अभिकथन अंकित किया, जबकी वादीया/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया जिसमें गुणावगुण एवं विषय वस्तु का निर्धारण वाद एवं जवाब के आधार पर तनकीयात कायम कर एवं साक्ष्य लिए जाने के बाद ही प्रकरण का निरतारण हो सकता न की अधिवक्ता की गलती के आधार पर पूर्व बिना अन्तिम निरतारण प्रकरण के आधार पर वादीया के हक व अधिकार समाप्त नहीं किए जा सकते है। वादीया/अपीलांट के प्रकरण के समांतर प्रकरण पर माननीय न्यायालय के प्रतिपादित सिद्धांत की अवहेलना कर अपीलग्रस्त निर्णय पारित किया गया। जैसा कि 2012 आर0एल0डब्ल्यू(2)आर0जे0 पेज 1035, 2003 आर0बी0जे0 पेज 158, 2009 आर0आर0टी0(2)पेज 882, 2010 आर0आर0टी0(2) पेज 1141, 2009 आर0आर0डी0 पेज 244, 2001 आर0बी0जे0 पेज 285, 1996 आर0बी0जे0 पेज 244, 2009 आर0बी0जे पेज 439, 1998 आर0बी0जे0 पेज 200, 2007 आर0बी0जे पेज 256, 2007 आर0बी0जे पेज 835, 2009 आर0आर0टी0 (1) पेज 230, 2009 आर0आर0टी0(1) पेज 62, 2006 डी0एन0जे(1) पेज 88, 2010 आर0आर0टी0(2) पेज 1336। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 06/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.08.2017 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब बहस अपील में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण संख्या 3 से 6 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी का प्रस्तुत कर सारांशतः निवेदन किया है, कि वादीया ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस न्यायालय में धारा 53, 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत झूठे तथ्यों का वाद प्रस्तुत किया। प्रतिवीदगण संख्या 3 से 6 की और से पूर्व में प्रस्तुत राजस्व वाद संख्या 31/99 अजनाम श्रीमति पानी वगैरह बनाम श्री सत्यनारायण वगैरह में वादीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी के तहत पक्षकार बनने हेतू पेश किया था जो उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय ने दिनांक 12.8.2001 को खारीज कर दिया जिसकी अपील वादीया ने राजस्व अपील अधिकारी अजमेर के यहां प्रस्तुत की जो भी खारीज हो गई तथा उक्त आदेश के विरूद्ध रिवीजन राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में पेश की गई थी जो दिनांक 23.12.2008 को खारीज हो गई थी उक्त वादीया को उक्त राजस्व वाद संख्या 31/99 व उसमें पारित निर्णय व डिक्री पूर्ण रूप से जानकारी चली आ रही है, इसलिये उक्त विवादित भूमियों के विषय में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30.3.2002 को निर्णय व डिक्री एंव फाईनल डिक्री दिनांक 18.9.2002 को पारित हो चुकी है, और विभाजन राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो चुका है, इसलिये वादीगण को मौजूदा वाद प्रस्तुत करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वादीया ने इन्हीं वादग्रस्त भूमियों के विषय में व इन्हीं पक्षकारों के विषय में राजस्व वाद संख्या 21/2001 सहायक कलेक्टर महोदय, ब्यावर के यहां अजनाम श्रीमति अणछीदेवी बनाम श्रीमति पानीदेवी के नाम से धारा 53, 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 का दावा पेश किया था जो दिनांक 17.6.2002 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज करवा दिया जिसके विरूद्ध कोई अपील अथवा रिवीजन नहीं की गई है, तथा इन तथ्यों व इन्हीं पक्षकारों के विषय में पुनः दूसरा दावा इसी न्यायालय में

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

दिनांक 22.9.2011 को अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 राज0काश्त0अधि0 के तहत श्रीमति अणछी बनाम श्रीमति पानी वगैरह का पेश किया जो इस न्यायालय ने दिनांक 23.9.2011 को खारीज कर दिया इन तथ्यों को इस दावे में छिपाया गया है। इसलिये धारा 11 जाब्ता दीवानी के तहत रेज्यूडिकेटा के सिद्धान्तों के अनुसार वादी निरस्त होने योग्य है। वादीया द्वारा तथाकथित वाद विभाजन, घोषणा का उपज किया है, जिसमें विवादित भूमियों में से खसरा नंबर 968/2 एंव 787/2 व 787/4, 268/1 की भूमियों में से देसराज पुत्र रामकरण, भंवरलाल पुत्र देवी को बेचान की जा चुकी है, उक्त विभाजन का वाद होने के कारण से उपरोक्त खरीददारों को इस दावे में आवश्यक पक्षकार होने के कारण उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिए भी वादीया का वाद कानूनन चलने योग्य नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादी अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद दिनांक 31.1.2014 को प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए। दिनांक 28.2.2014 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। दिनांक 28.3.2014 को अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 से 6 का वकालतनामा पेश किया गया। दिनांक 6.6.2014 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का जवाबदावा पेश किया गया। दिनांक 31.10.2014 को अप्रार्थी संख्या 3 से 6 का जवाबदावा पेश किया गया। दिनांक 20.2.2015 को वादीया अणची द्वारा आदेश 8 नियम 9 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश किया गया। दिनांक 12.11.2016 को प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से प्रार्थना पत्र राजीनामा पेश किया गया। दिनांक 25.1.2017 को वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 पेश किया। दिनांक 15.3.2017 को वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 का जवाब पेश किया गया। दिनांक 4.8.2017 को प्रतिवादी संख्या 3 से 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया।

वादीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद को खारिज किया गया। राजस्व वाद संख्या 31/99 अजनाम श्रीमती पानी वगैरह बनाम श्री सत्यनारायण वगैरह में वादीया द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 के तहत पक्षकार बनने हेतु प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र को न्यायालय द्वारा दिनांक 12.8.2001 को खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश की अपील वादीया द्वारा हाजा न्यायालय अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई। न्यायालय द्वारा उक्त अपील को भी खारिज किया गया तथा उक्त आदेश के विरूद्ध रिवीजन माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष पेश की गई। उक्त

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

रिवीजन को दिनांक 23.12.2008 को न्यायालय द्वारा खारिज किया गया। वादीया द्वारा राजस्व वाद 31/99 व उसमें पारित निर्णय व डिक्री की पूर्ण रूप से जानकारी थी। उक्त विवादित भूमियों के विषय में न्यायालय द्वारा दिनांक 30.3.2002 को निर्णय व डिक्री एवं फाईनल डिक्री दिनांक 18.9.2002 को पारित हो चुकी है व उक्तानुसार उनका विभाजन राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो चुका है। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 18.9.2002 के विरूद्ध नोसर व सत्यनारायण द्वारा अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के यहां प्रस्तुत की जिसमें अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.7.2006 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.9.2002 को यथावत रखा गया। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय में राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 54, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अजनाम श्रीमती अणछी बनाम मु0पानी वगैरह का दिनांक 22.9.2011 को प्रस्तुत होना पाया गया जिसकी जांच रिपोर्ट में पूर्ण विवरण होने के आधार पर दिनांक 23.9.2011 के आधार पर दर्ज नहीं किया गया। उक्त वादग्रस्त आराजीयात खानदानी भूमि अर्थात पैतृक भूमि है और वादीया द्वारा पूर्व में दो बार दावे खारिज हो चुके है। वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पूर्व में निर्णित भूमियों के विषय में डिक्लेरेशन बाबत पेश किया गया था। ऐसी स्थिति में वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाना न्यायोचित है।

Res judicata.-No Court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties, or between parties under whom they or any of them claim, litigating under the same title, in a Court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised, and has been heard and finally decided by such Court.

अतः उक्त वाद खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं होने से हाजा न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय को यथावत रखा जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 06/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.08.2017 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 03.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

03/02/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner